(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या _/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 29 मार्च, 2019

सा.का.नि........... (अ.)- केंद्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उप धारा (1), धारा 21 के खंड (v) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 02/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 07 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 191 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में, कॉलम (3) में, खण्ड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-
"8. जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसने इस अधिसूचना के अधीन इनपुट कर प्रत्यय का संदाय करने के विकल्प का उपयोग किया है वह इलेक्ट्रॉनिक निवेश खाते या इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में, विकलन द्वारा ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो स्टाक में धारित निवेशों और स्टाक में धारित अर्ध परिरूपित या परिरूपित माल में अंतर्विष्ट निवेशों के संबंध में और पूंजी माल पर जैसा कि इस अधिसूचना के तहत की गई आपूर्ति, उक्त अधिनियम की धारा 18 (4) और उसके तहत बनाए गए नियम के प्रावधानों को आकर्षित करती हो तथा ऐसी रकम का संदाय करने के पश्चात उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पड़ा हुआ इनपुट पर प्रत्यय का अतिशेष, यदि कोई हो, व्यपगत हो जाएगा।"।

(ii) पैराग्राफ 3 में, स्पष्टीकरण में खंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित खंड का समावेश किया जाएगा, अर्थात्:-
"(iii) केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियम, 2017, जो कि ऐसे व्यक्ति पर लागू होते हैं जो कि उक्त अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो, यथा आवश्यक परिवर्तनों समेत, ऐसे व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो कि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर का भुगतान कर रहा हो ।"।

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/25/2019-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट: - प्रधान अधिसूचना सा.का.नि. संख्या 191 (अ), दिनांक 07 मार्च, 2019 के तहत अधिसूचना सं0. 02/2019– संघ राज्यक्षेत्र कर(दर), दिनांक 07 मार्च, 2019 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई।